न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/125

1. श्री जगदीश आयु 65 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. श्री भोमा आयु 55 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. श्री पेमा आयु 45 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सुखदेव आयु 85 वर्ष आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. दुर्गालाल आयु 62 वर्ष आत्मज श्री माधो लाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. भूरा उर्फ भंवर लाल आत्मज श्री हेमा लाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सत्यनारायण आयु 37 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. राजस्थान राज्य श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्रीमान् उपपंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय हिण्डोली ।

——रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2021/128

सत्यनारायण आयु 37 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. सुखदेव आयु 85 वर्ष आत्मज श्री माधोलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. दुर्गालाल आयु 62 वर्ष आत्मज श्री माधो लाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

3. भूरा उर्फ भंवर लाल आत्मज श्री हेमा लाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. श्री जगदीश आयु 65 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्री भोमा आयु 55 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. श्री पेमा आयु 45 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जाति माली निवासी ग्राम टरक्डया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. राजस्थान राज्य श्रीमान् तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी ।
8. श्रीमान् उपपंजीयक, उप पंजीयक कार्यालय हिण्डोली ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2021/125 में ।
2. श्री राजकुमार गौतम, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से दोनों अपीलों में ।
3. श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 04 की ओर से अपील संख्या 2021/125 में ।
4. श्री प्रकाश चन्द भण्डारी, अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 2021/128 में ।

निर्णय **दिनांकः 04.08.2022**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 एवं संशोधित आदेश एवं डिक्री 7/18 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धि होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम टरडक्या तहसील हिण्डोली में स्थित है । उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा पूर्व से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 33/219 हिस्सा भूरा आत्मज हेमा द्वारा रिलीज डीड से प्राप्त हुआ है । खसरा नम्बर 2170 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2171 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम टरडक्या में स्थित है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि के पूव्र खातेदार आशा आत्मज लाल थे लेकिन आशा वल्द लाला के तीन पुत्र माध्या, मांग्या,

गोरया पैदा हुए । वादग्रस्त आराजी में भूरा पि0 हेमा हिस्सा 1/3 दर्ज हो गया उक्त खाते में माध्या, मांग्या पिसरान आशा हिस्सा 2/3 व भूरा पि0 हेमा हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया। उक्त इन्द्राज अशुद्ध व गलत हैं । क्योंकि उक्त भूमि का खातेदार आशा ही था इसलिए आशा जी के वारिसान माध्या व मांग्या के नाम ही उक्त भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी । वादग्रस्त आराजी में माध्या व मांग्या ने कुआ खुदवाया है तथा ताजिन्दगी उक्त 10 बीघा 19 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर माध्याजी व 1/2 हिस्सा भूमि पर मांग्या ही खेती करते रहे हैं । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि 10 बीघा 19 बिस्वा में हिस्सा 1/2 भूमि के खातेदार माधो जी के वारिस वादीगण व शेष हिस्सा 1/2 के खाते मांग्या जी के वारिस प्रतिवादीगण कम 2 लगायत 5 हैं । स्वयं भूरा ने भी इस तथ्य को पंचों के समक्ष स्वीकार करते हुए उक्त भूमि में दर्ज अपने हिस्से की भूमि को वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी कम 02 लगायत 05 के हक में रजिस्टर्ड रिलीज डीड द्वारा परित्याग कर दिया है लेकिन परित्याग में वादीगण के पक्ष में भूरा के हिस्से में से 1/2 हिस्सा भूमि सुखदेव, दुर्गालाल के पक्ष में होनी चाहिए थी और शेष उसके 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण कम 2 लगायत 05 के पक्ष में करवानी चाहिए थी लेकिन सहवन से वादीगण के पक्ष में 33/219 हिस्सा यानि 01 बीघा 13 बिस्वा भूमि ही हक त्याग हुई और प्रतिवादीगण कम 02 लगायत 5 के पक्ष में 40/219 हिस्सा यानि 02 बीघा भूमि दर्ज हो गयी है जो गलत इन्द्राज हुआ है । उक्त खाते में निहित भूरा के हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम व शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण कम 2 लगायत 5 के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर उक्तानुसार इन्द्राज दर्ज किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादी कम 01 भूरा आत्मज हेमा के वयस्क होने पर माध्या व मांग्या ने अपने से अलग करके भूरा के जीवन निर्वाह हेतु पृथक से खसरा नम्बर 83, 84 एवं 85 कुल किता 03 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि खाते दर्ज करवाई है जिस पर स्वयं प्रतिवादी भूरा खेती कर रहा है । इस प्रकार वादपत्र की चरण संख्या 01 व 02 में वर्णित भूमि पर भूरा आत्मज हेमा का कोई हक व अधिकार नहीं रहा है । चरण सख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2170, 2171 कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा भूमि के खातेदार आशा वल्द लालाजी थे लेकिन प्रतिवादी कम 01 भूरा, आशाजी के लडके माध्या व मांग्या के पास रहने से भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों ने दौरान भू–प्रबन्ध उक्त भूमि में माध्या, मांग्या पि0 आशा हिस्सा 2/3 व भूरा पुत्र हेमा हिस्सा 1/3 गलत दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि में भूरा पुत्र हेमा का कोई हिस्सा, हक, अधिकार व कब्जा नहीं है । भू–प्रबन्ध के कर्मचारियों को पूर्व के इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार नहीं है । उक्त भूमि में से भूरा पि0 हेमा का नाम विलोपित किया जाकर 1/2 हिस्से का खातेदार सुखदेव, दुर्गालाल वादीगण को व शेष 1/2 हिस्से का प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 को खातेदार घोषित किया जाना तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना न्यायोचित है । वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य ग्रामवासियान व पंचों की मौजूदगी में आपसी सहमति से काश्त कर रहे हैं ।

4. अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कुल किता 13 रकबा 10 बीघा 19 बिस्वा में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार, प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वर्तमान जमाबन्दी में गलत दर्ज हिस्से के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2170 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2171 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से भूरा पि0 हेमा का नाम विलोपित किया जाकर वादग्रस्त आराजी में

1/2 हिस्से का खातेदार वादीगण को तथा शेष 1/2 हिस्से का खातेदार प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 को खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता पृथक दर्ज किया जावे तथा पृथक लगान कायम किया जावे ।

5. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को कोर्ट कैम्प/राजस्व लोक अदालत शिविर मु0 अटल सेवा केन्द्र टोंकडा में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 के द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद वादीगण डिक्री कर दिया । जुलाई, 2018 को परीक्षण न्यायालय ने संशोधित आदेश जारी किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 एवं आदेश एवं डिक्री 7/18 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 02 लगायत 04 ने अपील संख्या 2021/125 एवं प्रतिवादी 05 सत्यनारायण ने अपील संख्या 2021/128 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायलय ने दिनांक 30.05.2017 को कैम्प में राजीनामा के आधार पर निर्णय करना अंकित किया है । कैम्प के बाबत् रेस्पोडेन्ट कम 04 को सूचित नहीं किया गया है और न ही राजीनामे में उसे बुलाया गया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय कानून के विरूद्ध है । परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 30.05.2017 को निर्णय हो जाने के पश्चात् बिना पक्षकारों को सूचना दिये और कानून के प्रावधानों के विपरीत /7/18 में एक नया संशोधन का आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 आदेश एवं डिक्री 7/18 निरस्त फरमाये जावें।

7. दोनों अपीलों में अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी दिनांक 15.06.2021 को रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा कब्जा करने व भूमि बेचान करने की धमकी देने पर हुई जिस पर दिनांक 16.06.2021 को नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 16.06.2021 व दिनांक 21.06.2021 को नकलें प्राप्त कर उक्त दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पक्षकारों के मध्य राजीनामे के आधार पर निर्णय किया है । अपीलान्ट के विरूद्ध 06.03.2017 को एक तरफा कार्यवाही कर दी गई उसके बाद कैम्प में अपीलान्ट को ग्राम टरकडया की जमीन नापने के नाम से बुलाया और जमीन नापने के नाम से हस्ताक्षर करवा लिये । अपील संख्या 2021/125 में रेस्पोडेन्ट कम 04 अपीलान्ट सत्यनारायण को न तो कैम्प कोर्ट की सूचना दी गई और न ही तथाकथित राजीनामे पर हस्ताक्षर करवाये गये । परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2017 को निर्णय हो जाने के

पश्चात् बिना पक्षकारों को सूचना दिये और कानून के प्रावधानों के विपरीत जुलाई, 2018 में एक नया संशोधन का आदेश पारित कर दिया तथा संशोधन के आदेश के भी विपरीत उसकी पालना में जुलाई 2018 में डिक्री जारी कर दी । यह भी उल्लेखनीय है कि संशोधन में भूमि खसरा नम्बर 2170 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2171 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा कुल 03 बीघा 13 बिस्वा ग्राम टरक्ड्या के स्थान पर टोंकडा संशोधित कर दिया गया जबकि संशोधित आदेश में भी और संशोधित आवेदन में भी उक्त खसरा नम्बरों के गॉव को परिवर्तन करने का आदेश नहीं है और टोंकडा की भूमि के बाबत् कोई दावा भी नहीं है । रिलीज डीड के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 2170 व 2171 पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 04 के खाते अंकित हुई थी जबकि तक पंजीकृत दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हेाता है जबतक पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर जो इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुए थे उनको राजस्व न्यायालय को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार गौतम ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में पक्षकारान के बीच राजीनामा हुआ था । स्वयं पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत किया था इस कारण अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी थी । अपीलान्टगण द्वारा उक्त अपीलें गंभीर रूप से अवधि बाधित है । वादग्रस्त आराजी मूल रूप से मूल पुरूष आशा पुत्र लाल की थी जिसमें 1/2 हिस्सा पुत्र माध्या (रेस्पोडेन्ट के पिता) तथा 1/2 हिस्सा (अपीलान्ट) का था । सेटलमेंट मे गलती से उक्त भूमि में से 1/3 हिस्सा अन्य व्यक्ति भूरा पुत्र हेमा (रेस्पोडेन्ट क्रम 03) के खतो दर्ज हो गई तथा 1/3 हिस्सा वादी रेस्पोडेन्ट एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी के दर्ज हो गई । इस कारण रेस्पोडेन्ट सुखदेव दुर्गालाल ने परीक्षण न्यायालय में 1/2 हिस्सा माध्या के उत्तराधिकारियों एवं 1/2 हिस्सा मांग्या के उत्तराधिकारियों एवं 1/2 हिस्सा मांग्या के उत्तराधिकारियों को दर्ज करने एवं भूरा पुत्र हेमा का नाम विलोपित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया । दौराने वाद भूरा पुत्र देवा ने राजीनामा प्रस्तुत कर उनका नाम डिलीट करने की सहमति दे दी जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई है । राजीनामा से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का 1/3 हिस्से से बढकर 1/2 – 1/2 हिस्सा हुआ है । भूरा को जिसका नाम राजीनामा से विलोपित किया गया है कोई आपत्ति नहीं की है उसने अपील भी नहीं की है । बाद में टंकण में गलती से वादग्रस्त आराजी के गॉव का नाम गलत अंकित हो जाने से संशोधित किया गया है । टाईप की गलती से दर्ज गॉव में पक्षकारान के उक्त खसरा नम्बरान की कोई कृषि भूमि नहीं थी । यदि होती तो अपीलान्ट खण्डन में जमाबन्दी प्रस्तुत करते । यही कारण है कि परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत संशोधन की अनुमति दी है । प्रकरण में राजीनामा से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है तथा जिस व्यक्ति का नाम विलोपित किया गया है उस व्यक्ति रेस्पोडेन्ट भूरा पुत्र हेमा ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टगण की अपीलें मेन्टेनेबल नहीं हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अपीलान्ट एक नया वाद भी विवादित आराजियात के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 बहाल रखे जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2021 (1) पेज 130, डीएनजे 2016

(1) पेज 201, आरआरटी 2021 (2) पेज 1250, आरएलडब्ल्यू 2006 (4) पेज 2817, आरआरडी 1991 पेज 392 उद्वरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुनने का निवेदन कर कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 व बिना दिनांक के पारित आदेश /7/18 के विरूद्ध दिनांक 15.07.2021 को अपील पेश की है ।

12. हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि पहले धारा 05 मियाद के बिन्दु पर सुना जाना चाहिए । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष की धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई ।

13. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2017 व संशोधित आदेश एवं डिक्री /7/18 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है । उक्त अपील विलम्ब से पेश करने के कोई पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारण भी नहीं बताए हैं । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 पेज 271, आरआरटी 2021 (2) पेज 1250 आदि प्रस्तुत किये ।

14. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील संख्या 2021/128 में अपीलान्ट सत्यनारायण को न तो निर्णय दिनांक 30.05.2017 की जानकारी न ही बाद के संशोधित आदेश 7/18 के निर्णय व डिक्री की जानकारी थी । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि जब निर्णय दिनांक 30.05.2017 की कोई डिक्री जारी ही नहीं की गई तथा निर्णय 7/18 व डिक्री दिनांक 7/18 के सम्बन्ध में न तो उनहें कोई नोटिस जारी किया गया तथा न ही सूचना दी गई । सूचना के अभाव में हम कैसे अपील करते । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री में कोई दिनांक तक अंकित नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने संशोधित निर्णय जानबूझकर लगभग 01 वर्ष से अधिक समय बाद में जारी किया गया है । इसलिए परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलान्टगण को समय पर नहीं हुई । संशोधित आदेश व संशोधित डिक्री गंभीर रूप से विधि की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 604, आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 337, आरआरडी 1992 पेज 239, आरआरडी 1992 पेज 173, आरआरडी 1994 पेज 742 उद्वरत की ।

15. उपर्युक्त स्थिति में हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियॉ व तथ्य विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं । अपीलान्ट सत्यनारायण को निर्णय दिनांक 30.05.2017 एवं 7/18 में

उपस्थिति दर्ज नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित संशोधित निर्णय एंव डिक्री 7/18 पर कोई दिनांक भी अंकित नहीं है । अन्य अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये बिना, सुनवाई का अवसर दिये बिना लगभग 01 वर्ष बाद बिना दिनांक के आदेश व डिक्री जारी की गई । ऐसी स्थिति में समय पर जानकारी न होना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए न्यायहित में विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित समझते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट टोकडा में रखा गया । पक्षकारान द्वारा उक्त कैम्प/कोर्ट में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर कथन किया पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा करना चाहते हैं । उक्त राजीनामे अनुसार वाद डिक्री किया जावे । उक्त आवेदन पत्र पर अपीलान्ट सत्यनारायण को छोडकर पक्षकारान के अंगूठा निशानी/ हस्ताक्षर हैं । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामे का अवलोकन किया । उक्त राजीनामे के पक्षकारान द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 14, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एवं 109 कुल किता 13 की रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम टरडक्या व खसरा नम्बर 2170, 2171 कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम टरडक्या उक्त दोनों भूमियों में 1/2 हिस्से का खातेदार सुखदेव, दुर्गा पि0 माधो माली व शेष 1/2 हिस्से का खातेदार जगदीश, भोमा, पेमा, सत्यनारायण पि0 मांगीलाल माली को खातेदार घोषित कर दिया जावे तथा भूरा उर्फ भंवर लाल का नाम विलोपित कर दिया जावे । उक्त राजीनामे पर वादी दुर्गालाल कम 01 दुर्गालाल के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं तथा वादी कम 02 सुखेदव की अंगूठा निशानी है । प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कम 01 भूरा की अंगूठा निशानी, प्रतिवादी कम 02 जगदीश एवं प्रतिवादी कम 03 भोमा के हस्ताक्षर हैं । प्रतिवादी कम 04 पेमा की अंगूठा निशानी है । उक्त राजीनामे में अपीलान्ट सत्यनारायण के हस्ताक्षर नहीं हैं । उक्त राजीनामे के पक्षकार वादी की पहचान विद्वान् अभिभाषक एस0 डी0 शर्मा द्वारा की गई और प्रतिवादीगण की पहचान नारायण सिंह पुत्र भीमसिंह द्वारा की गई है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2017 के द्वारा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे अनुसार वाद डिक्री कर दिया ।

17. परीक्षण न्यायालय द्वारा बरूए राजीनामा वाद डिक्री किये जाने के उपरान्त वादी कम 02 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2017 प्रस्तुत कर किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लेखन में खसरा नम्बर 86 के स्थान पर 14 व 93 के स्थान पर 13 हो गया है व खसरा नम्बर 104 लेखन में ही छूट गया है तथा भूमि का ग्राम भी टोंकडा के स्थान पर टरडक्या सहवन से लिख दिया गया है । ऐसी स्थिति में सहवनवश हुई उक्त त्रुटि के इन्द्राज को दुरूस्त कर निर्णय में खसरा नम्बर 14 के स्थान पर खसरा नम्बर 86, 13 के स्थान पर 93 व खसरा नम्बर 104 अंकित करते हुए भूमि का ग्राम टरडक्या के स्थान पर टोंकडा दर्ज किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सहवन से निर्णय में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने की कृपा करें । परीक्षण न्यायालय ने वादी कम 02 दुर्गालाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपने आदेश जुलाई, 2018 को संशोधित आदेश पारित किया ।

18. परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट टोकडा में लोक अदालत की भावना से प्रकरण में राजीनामा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजीनामा प्रपत्र पर अंकित है कि राजीनामा निम्मानुसार तय हुआ, "कृषि भूमि खसरा नम्बर 14, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एवं 109 कुल किता 13 की रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम टरडक्या व खसरा नम्बर 2170, 2171 कुल किता 02 कुल रकबा 03 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम टरडक्या उक्त दोनों भूमियों में 1/2 हिस्से का खातेदार सुखदेव, दुर्गा पि0 माधो माली व शेष 1/2 हिस्से का खातेदार जगदीश, भोमा, पेमा, सत्यनारायण पि0 मांगीलाल माली को खातेदार घोषित कर दिया जावे तथा भूरा उर्फ भंवर लाल का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा दोनों पक्षों को भूमि नापकर मौके पर संभलायी जावे ।" उक्त राजीनामा पर अपीलान्ट वादी दुर्गालाल, सुखदेव तथा प्रतिवादी भूरा, जगदीश, भोमा व पेमा के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी हैं, प्रतिवादी संख्या 05 सत्यनारायण के हस्ताक्षर नहीं हैं । उक्त राजीनामा पर पहचानकर्ता एस0 डी0 शर्मा (एड0) तथा नारायण सिंह आर0ओ0 टोकडा ने पहचान की है । जहॉ तक प्रतिवादी संख्या 01 भूरा आत्मज हेमा का प्रश्न है वह वादी की चरण संख्या 01 व चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि पर अपना अधिकार त्याग कर राजस्व रिकॉर्ड से नाम विलोपन हेतु सहमति दे चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 4 ने अपनी सहमति दी है ।

19. लोक अदालत में प्रतिवादी संख्या 05 सत्यनारयाण की न तो उपस्थिति है तथा न ही राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर हैं । अतः अपीलान्ट सत्यनारायण पर उक्त राजीनामा विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता । लोक अदालत में सभी पक्षकारान की सहमति आवश्यक है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 05 की सहमति पत्रावली पर अंकित नहीं है । परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र की प्रार्थना में ग्राम टरक्डया की भूमि पर ही अनुतोष चाहा है । राजीनामा प्रपत्र में भी ग्राम टरक्डया की भूमि पर ही आदेश दिये गये हैं, आदेशिका दिनांक 30.05.2017 में भी ग्राम टरक्डया ही अंकित है। इस प्रकार तीनों दस्तावेजें– राजीनामा – प्रपत्र, आदेशिका तथा वाद में अनुतोष ग्राम टरक्डया की भूमि का अंकन करते हुए प्रदान किये गये हैं । बिना दिनांक का आदेश /7/18 में भी आदेश किया है कि "अतः प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 30.05.2017 में अंकित खसरा नम्बर 14, 13 व ग्राम टरडक्या के स्थान पर खसरा नम्बर 86, 93, 104 ग्राम टोंकडा शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं शेष निर्णय यथावत रहेगा । संशोधित डिक्री आदेश जारी हो निर्णय/संशोधित आदेश आज दिनांक /7/18 को लिखा जाकर सुनाया गया ।" परन्तु डिक्री दिनांक /7/18 इस प्रकार पारित की है, "मुताबिक राजीनामानुसार भूमि खसरा नम्बर 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104 एवं 109 कुल 13 किता रकबा 10.10 बीघा वाके ग्राम टरडक्या व भूमि खसरा नम्बर 2170, 2171 कुल किता 02 रकबा 3.13 बीघा वाके ग्राम टोंकडा उक्त दोनों ग्रामों की भूमियों में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण कम 2 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा रिकॉर्ड में से भूरा उर्फ भंवर लाल का नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।" अर्थात् संशोधित आदेश व जारी डिक्री में भी समानता नहीं है । संशोधित आदेश में ग्राम टोकडा के खसरा नम्बर 86, 93 एवं 104 अंकित है । वादी द्वारा दिनांक 19.12.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी खसरा नम्बर 2170 व 2171 का जिक्र नहीं है । उक्त डिक्री पर भी कोई दिनांक भी अंकित नहीं है । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दिनांक 30.05.2017 के निर्णय व संशोधित निर्णय दिनांक /7/18 के आधार पर क्या /7/18 की डिक्री जारी की जा सकती है ? विद्वान्

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि सीपीसी 152 के तहत परीक्षण न्यायालय ने संशोधित आदेश दिया है । धारा 152 उक्त तर्क प्रस्तुत प्रकरण में मान्य नहीं है क्योंकि सीपीसी 152 का स्कोप बहुत लिमिटेड तथा लिपिकीय त्रुटि सुधारने तक है । धारा 152 इस प्रकार है, "निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन – निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की लेखन या गठित सम्बन्धी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियॉं न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी।" परन्तु संशोधित आदेश वादपत्र के अनुतोष व निर्णय दिनांक 30.05.2017 से भिन्न है । प्रस्तुत प्रकरण में यह मान्य नहीं है, क्योंकि आदेश दिनांक 30.05.2017 तथा आदेश /7/18 आदेश तथा /7/18 डिक्री में भी अंतर है तथा ग्राम का नाम व खसरा संख्या में परिवर्तन किया गया है । डिक्री /7/18 में जो अनुतोष दिया गया है वह न तो वाद में मांगा गया है तथा न ही राजीनामा प्रपत्र में अंकित है । राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री के सम्बन्ध में यदि अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का तर्क स्वीकार किया जाता है तो भी राजीनामा दिनांक 30.05.2017 में जिस ग्राम का नाम अंकित है वह डिक्री में अंकित नाम से भिन्न है । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से तो सहमत हैं कि भूरा आत्मज हेमा ने राजीनामा अनुसार अपना नाम विलोपित करने की अनुमति दी है। प्रकरण में संशोधित आदेश दिनांक /7/18 बिना अपीलान्ट को सुने पारित किया गया है वह उचित नहीं है । इसके पश्चात् 7/18 को बिना तारीख के डिक्री जारी की गई है जो आदेश दिनांक 30.05.2017 तथा उसके लगभग एक वर्ष बाद जारी आदेश 7/18 से भी भिन्न जारी की गई है । इतने समय बाद जारी संशोधित आदेश जारी किया गया है तो पक्षकारों को सुना जाना चाहिए था । प्रस्तुत प्रकरण में राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय एवं संशोधित आदेश व डिक्री में बहुत अन्तर है, खसरा नम्बर व राजस्व ग्राम के नामों में परिवर्तन किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में नायब तहसीदार हिण्डोली द्वारा दिनांक 30.03.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया । उक्त जवाब में अंतिम पैरा में रिलीज डीड के सम्बन्ध में उल्लेख किया है जिसका निस्तारण भी निर्णय में स्पष्ट होना चाहिए । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । निर्णय पारित करते समय परीक्षण न्यायालय इस बिन्दु पर आवश्यक रूप से अवलोकन करे कि प्रतिवादी कम संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 30.05.2017 को राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

20. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2021/125 एवं अपील संख्या 2021/128 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री /7/18 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 07.09.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा